महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान)

गुरु शिष्य परम्परा योजना के लिए दिशा-निर्देश

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना का उद्देश्य देश में वैदिक ज्ञान (अध्ययन) की मौखिक परम्परा का संरक्षण, संवर्धन तथा विकास करना है । देश में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रतिष्ठान द्वारा वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाएं रखने की योजना(गुरु शिष्य परम्परा) के माध्यम से सभी उपलब्ध वेद शाखाओं का अध्ययन-अध्यापन करवाया जा रहा है। गुरु अपने निवास या अन्य सुविधाजनक स्थान पर अपने आस-पास गांव या नगर के बटुकों को वेदाध्ययन कराकर वेदाध्ययन की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाना है।

वेद अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता

अध्यापक को किसी गुरु के सानिध्य में रहकर सम्बन्धित वेदशाखा की संहिता में पारंगत होने के साथ –साथ पद, क्रमपाठ, ब्राह्मणग्रन्थ, प्रातिशाख्य तथा शिक्षा ग्रन्थ आदि का भी उत्तम ज्ञान होना चाहिए अथवा वह प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेदपाठशाला में पूर्ण अध्ययन कर वेदविभूषण का प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता की मान्यताप्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए ।

वेद अध्यापक की आयु तथा अनुभव

वेद अध्यापक की न्यूनतम आयु २१ वर्ष होनी चाहिए तथा किसी भी पाठशाला में न्यूनतम एक वर्ष का अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। वेद अध्यापक की अनुदान प्राप्त करने की अधिकतम आयु ६५ वर्ष है । स्वास्थ्य और शिक्षण हेतु सक्षम होने पर अधिकतम ७० वर्ष तक सेवारत रह सकते हैं ।

गुरुशिष्यपरम्परा संचालित करने हेतु मान्यता

अध्यापक को नवीन ईकाई प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व प्रतिष्ठान द्वारा अध्यापक का सम्परीक्षण किया जाएगा । जिसके लिए प्रतिष्ठान द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ (वेद विद्वान्) द्वारा प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित स्थान व दिनांक पर अध्यापक का सम्परीक्षण किया जाएगा । सम्परीक्षण में चयन होने पर ही अध्यापक को नवीन ईकाई प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

अध्यापक को स्वयं के आवास अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यक्तिगत रुप से छात्रों के आवास, भोजन आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी । यदि गुरुशिष्य परम्परा किसी संस्था में चल रही है तो छात्रों का रखरखाव अनुदान संस्था के खाते में प्रेषित किया जाएगा। संस्था द्वारा प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर गुरु शिष्य परम्परा का अनुदान जारी किया जाएगा।

यदि कोई ईकाई किसी संस्था के माध्यम से चल रही है तो संस्था को अधोलिखित सूचना प्रतिष्ठान को उपलब्ध करानी होगी।

(क) अध्ययन अध्यापन के लिए कक्ष की जानकारी

(ख) छात्रों के आवास हेतु छात्रावास व्यवस्था

(ग) भोजन आदि की व्यवस्था

(घ) संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति

(ङ) पिछले तीन वर्षों के आडिट लेखें एवं रिपोर्ट की प्रति ।

एक बार ईकाई प्रारम्भ होने पर छात्रों को प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कराना आवश्यक होगा ।

छात्र संख्या

किसी भी इकाई में ०१ वेद अध्यापक के सान्निध्य में अधिकतम १० छात्र वित्तपोषित छात्र प्रवेश ले सकेगें। इसके पश्चात् भी यदि छात्रों को परीक्षा देनी है तो उन सभी छात्रों को प्रतिष्ठान में पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क देना होगा।

परीक्षा प्रणाली व परीक्षा शुल्क

वेद परीक्षा :- प्रथम से सप्तम वर्ष के छात्रों की मौखिक परीक्षा प्रतिवर्ष ली जाएगी।

लिखित परीक्षा :- छात्रों की आधुनिक विषयों (अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत) की लिखित परीक्षा ली जाएगी । पूरक परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी ।

परीक्षा व पंजीयन शुल्क: १० वित्तपोषित छात्रों के अतिरिक्त छात्र होने पर रु० ३,००/- पंजीयन व परीक्षा शुल्क देय होगा ।

सप्तम वर्ष के छात्रों की वार्षिक परीक्षा प्रतिष्ठान परिसर उज्जैन में ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु छात्रों को उनके अध्ययन स्थान से प्रतिष्ठान तक का आवागमन व्यय एक अध्यापक के निर्देशन में प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाएगा।

छात्र की प्रवेश प्रक्रिया

आवेदन अवधि : छात्र के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष दिनांक १ अप्रैल से ३१ जुलाई तक आवेदन प्रतिष्ठान में प्रेषित किए जाय।

प्रवेश हेतु आयु व शैक्षणिक योग्यता :

(१) छात्र के प्रवेश हेतु आवेदन अवधि में छात्र की अधिकतम आयु १६ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) आयु प्रमाण हेतु स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र या शपथ पत्र (अफिडेविट) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(३) छात्र को देवनागरी लिपि लिखने व पढने का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे वेद अध्यापक प्रमाणित कर सकते हैं।

(4) छात्र कक्षा ५वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अध्यापक मानदेय व छात्रों की छात्रवृत्ति

अध्यापक मानदेय : वेद अध्यापक का मानदेय पाठशाला योजना के वेद अध्यापक के न्यूनतम मानदेय के समान रु० ११,०००/- प्रतिमाह किया जा सकता है ।

छात्रों की छात्रवृत्ति :

- छात्रों को रु० २,०००/- प्रतिमाह की अध्ययन वृत्ति प्रदान की जाएगी । जिसमें से रु. १५००/ छात्र के भोजन आदि रखरखाव के लिए और रु. ५००/ छात्र के स्वतः के व्यय के लिए प्रदान किया जाएगा। भोजनादि रखरखाववृत्ति पाठशाला/संस्था को तथा स्वतः व्ययवृत्ति छात्र के अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में प्रतिष्ठान द्वारा प्रेषित की जाएगी।
- प्रथम वर्ष के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में वेद/ आधुनिक विषयों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण /अनुपस्थित रहने पर भी द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु ०२ वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।
- छात्र को प्रथम व द्वितीय वर्ष की वेद परीक्षा पूर्णत: उत्तीर्ण होने पर ही तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र पूर्णत: वित्तविहीन हो जाएगा ।
- छात्र के वेद परीक्षा परिणाम के आधार पर तृतीय से पंचम वर्ष तक कक्षोन्नति नहीं होगी। यदि छात्र आधुनिक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है, तो छात्र की कक्षोन्नति होगी तथा अगले वर्ष पूर्व कक्षा की आधुनिक विषय की परीक्षा में भी सम्मिलित होगा। पंचम वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा तक समस्त कक्षा की आधुनिक विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। षष्ठ, सप्तम वर्ष के छात्रों में से यदि कोई छात्र षष्ठ वर्ष में आधुनिक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे सप्तम वर्ष में दोनों षष्ठ, सप्तम वर्ष की आधुनिक विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । यह नियम वेद विषय में लागू नहीं होगा। वेद विषय में प्रत्येक वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक है।
- आधुनिक विषय की परीक्षा ऐच्छिक होगी अनिवार्य नहीं।

पाठ्यक्रम अवधि

- पाठ्यक्रम को ०५ वर्ष तथा ०२ वर्ष की पद्धति के अनुरुप निर्धारित किया जाएगा ।
- ०५ वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को "वेदभूषण" का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जिसमें वेद की चयनित शाखा की संहिता का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा।
- ०५ वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात छात्र ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का अध्ययन करने हेतु ०२वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर संकेगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर छात्र को "वेदविभूषण" का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम सामग्री प्रतिष्ठान से क्रय की जा सकती है।

वेदाध्यापक एवं छात्रों की वेद अध्ययन में प्रगति सम्बन्धी प्रमाण पत्र

अध्यापक को ईकाई में अध्ययनरत छात्रों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह २० तारीख तक प्रतिष्ठान को प्रेषित करनी होगी। प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर ही छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

ईकाईं की स्थान परिवर्तन प्रक्रिया

गुरु अपने आवास पर गुरुशिष्यपरम्परा संचालित कर रहा है तो वह गुरु, शिष्यों सहित स्थान परिवर्तन कर सकता है। यदि गुरुशिष्य परम्परा संस्था के अधीन चल रही है तो संचालित करने वाली संस्था की अनुमति आवश्यक होगी।

ईंकाइयों का निरीक्षण व प्रतिष्ठान का नियंत्रण

- प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी इकाई का प्रत्येक ०३(तीन) वर्ष पश्चात निरीक्षण किया जाएगा ।
- निरीक्षण हेतु देशभर में अलग-अलग प्रान्त के अनुसार समितियां बनाई जाएगी। जो प्रान्त अनुसार इकाईयों का निरीक्षण करेगी।
- निरीक्षण समिति द्वारा ईकाइयों को गुणवत्ता के आधार पर की चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। यथा -

सर्वोत्तम	(A)	उत्तम	(B)
मध्यम	(C)	निम्न	(D)

- इकाई को निम्न श्रेणी (D) प्राप्त होने पर इकाई का अनुदान तथा मान्यता रद्द की जा सकती है

वेदाध्यापक हेतु अवकाश सम्बन्धी नियम:

1. गुरु शिष्य परम्परा योजना के अध्यापकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसार अवकाशों का प्रावधान होगा।
2. साप्ताहिक अवकाश - प्रत्येक अष्टमी एवं प्रतिपदा ।
3. आकस्मिक अवकाश - अध्यापकों को प्रतिवर्ष 12 दिन का आकस्मिक अवकाश (एक समय में अधिकतम तीन दिन का अवकाश स्वीकृत होगा।)
4. विशेष अवकाश - अध्यापकों को प्रतिवर्ष 12 दिन का विशेष शैक्षणिक अवकाश दिया जा सकता है जो कि उनकी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे वेद संगोष्ठी, वेद सम्मेलन आदि किन्तु प्रतिष्ठान द्वारा निर्गत पत्र पर लिया गया अवकाश कार्यावकाश माना जाएगा।
5. चिकित्सा अवकाश - अध्यापकों को अस्वस्थता की दशा में चिकित्सालय में भर्ती होने पर 3 वर्ष की सेवा उपरान्त एक माह तक का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है, जिसकी सूचना प्रतिष्ठान को देनी होगी।
6. संस्था अध्यक्ष/सचिव/मन्त्री द्वारा एक केलेण्डर वर्ष में मौसम की अनुकूलता को देखते हुए छात्र-अध्यापकों को केवल 40 दिन का अवकाश देंगे लेकिन इसके लिए अध्यापन उत्तराधिकार विकल्प में सुनिश्चित करना संस्था प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा।
7. प्रत्येक गुरु को अपने स्तर से 5 विशेष अवकाश देने का अधिकार होगा जिस दिन स्थानीय या प्रदेश सरकार का अवकाश रहेगा।
8. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजपत्रित अवकाश प्रदेय होंगे।
9. एक माह (३० दिन) से अधिक विना सूचना के अनुपस्थित रहने पर अनुदान निरस्त किया जाएगा। पुनः सम्परीक्षण देने पर ही अनुदान दिया जा सकेगा।

विशेष नियम :

१. इकाई प्रारम्भ करना/बन्द करना स्थानपरिवर्तन करना या किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय प्रतिष्ठान द्वारा लिया जाएगा। इस हेतु सचिव एक समिति बनाकर निर्णय ले सकेगें।

२. यदि कोई संस्थाधीन इकाई बन्द हो रही है तो उन अध्यापकों को यथा संभव अन्य स्थान पर समायोजित किया जा सकता है।

३. संस्था से यदि अध्यापक स्वेच्छा से/बिना प्रतिष्ठान की अनुमति से छोडता है तो वहाँ अन्य अध्यापक को योजित करने का पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के पास सुरक्षित होगा।

४. प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर संस्था प्रमुख की सूचना के अनुसार अध्यापक के मानदेय में कटौती की जाएगी।

५. प्रतिष्ठान से सम्बद्ध अध्यापक जिसने पाँच वर्ष प्रतिष्ठान की योजना के अन्तर्गत अध्यापन किया है जिसका रिकार्ड उत्तम रहा है। वह यदि प्रतिष्ठान की योजना से किसी कारण दूर हो जाता है तो उसे प्रतिष्ठान की योजना में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुनः लिया जा सकता है।

६. यदि कोई अध्यापक बिना प्रतिष्ठान की अनुमति के ईकाई छोड कर चला जाता है तो इस स्थिति में प्रतिष्ठान की गुरुशिष्यपरम्परा योजना में पुनः शामिल होने के लिए सम्परीक्षण देना अनिवार्य होगा।

७. गुरुशिष्यपरम्परा योजना में अध्यापकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।